

फाइल सं. ए.12018/62/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में आशुलिपिक ग्रेड II, समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में आशुलिपिक ग्रेड II, समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 29/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 29/11/22

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख....., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि.....- राष्ट्रपति, दिनांक 31 मार्च, 1986 को भारत के राज पत्र के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में (समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 के अधिक्रमण में, जहां तक आशुलिपिक ग्रेड III, समूह 'ग' के पद का संबंध है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में आशुलिपिक ग्रेड II, समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा आशुलिपिक ग्रेड II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता - वह व्यक्ति-

(क)जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड II।	*01(2022)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसंचिवीय।	स्तर-4, (25500 - 81100रु). ।	लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अहंताएं।	पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण अथवा समान अहंता</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण मानदण्डः</p> <p>डिक्टेशन: 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से</p> <p>लिप्यांतरण:</p> <p>65 मिनट (अंग्रेजी)</p> <p>75 मिनट (हिंदी) (मैनुअल टाइपराइटर पर)</p> <p>अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी)</p> <p>50 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति          (नियमितीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक,              क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,              गौरीपुर - अध्यक्ष</li> <li>2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी              क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,              गौरीपुर -सदस्य</li> <li>3. सहायक निदेशक,              क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,              गौरीपुर -सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

फा.सं. ए.12018/62/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)  
 अवर सचिव, भारत सरकार